

11-04-18

वकील अपीलान्त या स्वयं अपीलान्त कोई उपस्थित  
नहीं है। अपीलान्त के बार-बार आवेज दिलाई  
गई। अपीलान्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं  
आया। अतः अपील अपीलान्त अदम हाजरी व  
अदम फरवी के खारिज की जाती है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर बाद तकभिल जावत। दालिख  
दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभागा, भरतपुर